सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 210/प्रा0पत्र/2019 दायरा दिनांक :–13.12.2019

GCMS ID–2019/00519

उनवान

1. शोजी आ0 छीतर जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. शोजी आ0 मोती जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
2. प्रभू आ0 भज्जा जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
3. मोहन आ0 रामनाथ जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
4. रामलाल आ0 रामनाथ जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
5. कल्याण आ0 मांगीलाल जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
6. प्रकाश आ0 मांगीलाल जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
7. छोटू आ0 मांगीलाल जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
8. गोपाल आ0 मांगीलाल जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
9. कालू आ0 कंवरा जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली
10. पप्पू आ0 रामनाथ जाति कुम्हरावत निवासी कुई का झौपडा अलोद तह0 हिण्डोली

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण :– अप्रार्थी 1 लगायत 5 व 7 से 10 जबाव बंद, अप्रार्थी संख्या 6 स्वयं

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खसरा संख्या 1402 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 1412 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1413 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1414 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2010 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कालाभाटा तहसील हिण्डोली में विस्थित है जिसका प्रार्थी तन्हा काबिज खातेदार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी की भूमि के पडोसी किसान है तथा आदतन अतिक्रमी है जो सीमा को तोडते है तथा अतिक्रमण करने की कोशिश करते है, समझाने पर नहीं समझते है तथा प्रार्थी के खाते की भूमि में अपना हक जता कर शान्ति भंग करते रहते है, अप्रार्थीगण के द्वारा किये जा रहे सीमा सम्बन्धी विवाद का हल सीमाज्ञान से सम्भव नहीं है। इसलिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

पत्थरगढी होने से सीमाओं का चिन्हीकरण स्थायी रूप से हो जाने से भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगी। पत्थरगढी का सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है। पत्थरगढी होने से अप्रार्थीगण को भी कोई क्षति नहीं होगी। भूमि ग्राम कालाभाटा तहसील हिण्डोली में विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 1402 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 1412 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 1413 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1414 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2010 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम कालाभाटा तहसील हिण्डोली के पत्थरगढी के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 व 6 लगायत 10 की ओर से बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं किए जाने से जबाव बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर जबाव पेश कर कथन किया कि पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थी के खाते की भूमि है। प्रार्थी की भूमियों पर सीमाबंदी के संबंध में कोई स्थाई निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थी की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने-पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 195 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 195 के खसरा संख्या 1402, 1412, 1413, 1414, 2010 कुल किता 5 कुल रकबा 8.08 बीघा वाके ग्राम कालाभाटा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446